[2021] 8 एस.सी.आर. 194

भारत संघ एवं अन्य
बनाम
आ ंकार नाथ धर
(सिविल अपील संख्या 6619/2014)
05 अगस्त, 2021
[हेमंत गुप्ता एवं ए०एस०बोपन्ना, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 21– सरकारी आवास का दावा करने का अधिकार, यदि आश्रय के अधिकार के अंतर्गत आता है माना गया: आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है, न कि उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए जिन्होंने कार्यालय छोड़ दिया है, जैसा कि परोपकार और उदारता का वितरण – संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए कोई अपवाद नहीं विस्थापित व्यक्तियों को पहले से आवंटित सरकारी आवास को बनाए रखने या वैकल्पिक आवास आवंटित करने की अनुमति देना, वह भी मामूली लाइसेंस शुल्क के साथ, सरकारी आवास के मूल उद्देश्य को विफल करता है। सेवारत अधिकारियों के लिए– तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने जेएल कौल मामले के आदेशों पर भरोसा करते हुए, राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के कारण विस्थापित व्यक्तियों के प्रति दिखाई गई दया के आधार पर, सरकारी अधिकारी– कश्मीरी प्रवासी को ई सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति दी। सरकारी डीएफ आवंटन की किसी नीति के अभाव में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतः मनमाना और अतार्किक आदेश पारित किया गया । एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवास, जो आतंकवाद का शिकार हो सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करदिया गया, सरकारी अधिकारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के 15 वर्ष बाद, परिसर के खाली भौतिक कब्जे को सौंपने के लिए समय दिया गया, (सार्वजनिक परिसर का अनाधिकृत अधिभोगी निष्कासन) अधिनियम, 1971।

अनुच्छेद. 142– जे.एल. कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले की प्रयोज्यता – जे.एल. कौल के मामले में निर्देश, कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दी गई पुनर्वास योजना को स्वीकार करते हुए, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाती है। अनुच्छेद के संदर्भ में 142 अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में विशेष तथ्यों पर निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 142 कोई बाध्यकारी मिसाल नहीं – जे एल कौल' मामला विशेष तथ्यों पर आधारित था तथा निर्देशन कला की दृष्टि से था। अनुच्छेद 142– इस प्रकार, बिना किसी आधार के जेएल कौल के मामले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जेएल कौल का मामला लागू नहीं होता है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए यह कथित किया हैः

माना 1.1 सरकारी आवास उस व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता था जिसने पद छोड़ दिया हो। एक समय संवैधानिक पद पर रहे व्यक्तियों के संबंध में भी कोई अपवाद नहीं बनाया गया। सरकारी आवास केवल सेवारत अधिकारियों के लिए है, सेवानिवृत्त लोगों या पद छोड़ चुके लोगों के लिए नहीं इसलिए, राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के कारण विस्थापित व्यक्तियों के प्रति दिखाई गई दया के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है। विस्थिापत लोगों के साथ एक या दो महीने के लिए उदारता दिखायी जा सकती है लेकिन उन्हें पहले से आवंटित सरकारी आवास को बनाए रखने या एक वैकल्पिक आवास आवंटित करने की अनुमति देना, वह भी नाममात्र लाइसेंस शुल्क के साथ, सरकारी आवास के मूल उद्देश्य को विफल करता है जो सेवारत अधिकारियों के लिए है। करुणा चाहे कितनी भी वास्तविक क्यों न हो, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सरकारी आवास पर बने रहने का अधिकार नहीं देती। [पैरा 13] [206–जी–एच; 207 ए–सी]

1.2 सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार, विस्थापित व्यक्ति को ट्रांजिट आवास में रखा जाना है और यदि यह उपलब्ध नहीं है तो नकद मुआवजा प्रदान किया जाना है, लेकिन विस्थापित व्यक्ति सरकारी आवास पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। यदि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास निवास स्थान नहीं है, तो उनके पास ट्रांजिट आवास का लाभ उठाने का विकल्प होता है या ट्रांजिट आवास के स्थान पर नकद मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। आश्रय के अधिकार का ध्यान तब रखा जाता है जब आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्रवासियों को वैकल्पिक पारगमन आवास उपलब्ध कराया जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद के कारण विस्थापित लोगों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश आश्रय के अधिकार के तहत प्रवासियों को आवास आवंटित करने की एक नीति है जो स्पष्ट रूप से न्यायालयों में निहित अधिकार क्षेत्र से परे है। उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण उन्हें वैकल्पिक सरकारी आवास प्रदान करना राज्य का कर्तव्य नहीं बनता है। [पैरा 14] [207–सी–एफ]

1.3 प्रतिवादी इंटेलिजेंस का एक अधिकारी था, उसने अपना वेतन प्राप्त किया है और पेंशन लाभ के साथ अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 15 वर्षों तक वैकल्पिक आवास बी का लाभ उठाया है। किसी भी नागरिक को मामूली लाइसेंस शुल्क पर सरकारी आवास आवंटन का कोई अकाट्य अधिकार नहीं है। सरकारी आवास सेवारत सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन की सुविधा के लिए है। सरकारी आवास सेवानिवृत्त लोगों के लिए नहीं है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए आवास सेवारत अधिकारियों की कीमत पर है। नीति के संदर्भ में जिस पर *जे.एल.कॉल मामले" में विचार किया गया था, कश्मीरी प्रवासी पारगमन आवास के हकदार हैं और यदि पारगमन आवास प्रदान नहीं किया जा सकता है तो निवास और खर्चों के लिए धन के हकदार हैं। प्रतिवादी और उसके जैसे व्यक्ति प्रवासियों के सबसे गरीब वर्ग से नहीं हैं, लेकिन उन्होंने नौकरशाही के उच्च पदों पर काम किया है। यह कहना कि वे आश्रय के अपने अधिकार को केवल तब तक लागू कर रहे हैं जब तक कि परिस्थितियाँ उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अनुकूल न हों, पूरी तरह से भ्रम है। कोई भी निश्चित नहीं है कि किस समय परिस्थितियाँ प्रवासियों की संतुष्टि के अनुकूल होंगी। नागरिकों के एक वर्ग के प्रति ऐसी परोपकारिता और अधिमान्य अधिकार सेवारत अधिकारियों के साथ अन्याय है। प्रतिवादी जैसे व्यक्तियों को अपने साथी कर्मचारियों के प्रति दया रखनी चाहिए, जिनके पास कोई सरकारी आवास नहीं है। आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है। सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है, न कि सेवानिवृत्त लोगों
के लिए परोपकार और उदारता के वितरण के लिए। [पैरा 19][210–ए–ई]

1.4 जे.एल. कौल का मामला है, जिसमें राज्य प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई पुनर्वास योजना को स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर 31 अपीलकर्ताओं को उचित आवास प्रदान किया गया और उन्हें वह आवास दिया गया जो उनके कब्जे में था। ऐसी दिशा संविधान के अनुच्छेद 142 की दृष्टि से थी। इसलिए न्यायालयों को अनुपात निर्णय का पता लगाने और उसका पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, न कि विशेष तथ्यों पर दी गई राहत का । [पैरा 16][208–बी–डी]

1.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल बिना किसी आधार के हैं और किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जो आतंकवाद का शिकार हो सकता है, को सरकारी आवास आवंटित करने की किसी नीति के अभाव में है। पारित आदेश पूरी तरह से मनमाने और अतार्किक हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और अधिनियम के तहत आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका बहाल की गई है। हालाँकि, प्रतिवादी को 31.10.2021 को या उससे पहले, यानी उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के 15 वर्ष बाद, परिसर का खाली भौतिक कब्ज़ा सौंपने का समय दिया गया है। [पैरा 20, 21][210–एफ–एच]

जे.एल. कौल बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य (2010) 1 एससीसी 371: [2009] 15 एससीआर 452– अनुपयुक्त ठहराया गया।

लोक प्रहरी (1) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। (2016) 8 एससीसी 389:[2016] 4 एससीआर

1026; लोक प्रहरी (।।) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2018) 6 एससीसी 1:[2018] 6 एससीआर 1076; एस. डी. बंदी बनाम संभागीय यातायात अधिकारी, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य(2013) 12 एससीसी 631:[2013] 17 एससीआर 1; शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997) 1 एससीसी 444: [1996] 10 पूरक एससीआर 925; भारत संघ एवं अन्य बनाम वी. विजय मैम (2012) एससीसी ऑनलाइन डेल 3218; इंडियन बैंक बनाम एबीएस मरीन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड (2006) 5 एससीसी 72: [2006] 1 पूरक एससीआर 52; राम प्रवेश सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2006) 8 एससीसी 381: [2006] 6 पूरक एससीआर 512 – संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2009] 15 एससीआर 452		अनुपयुक्त ठहराया गया	कंडिका 18, 19
[2016] 4 एससीआर 1026		निदिर्ष्ट	कंडिका 7
[2018] 6 एससीआर 1076		निदिर्ष्ट	कंडिका 7
[2013] 17 एससीआर 1		निदिर्ष्ट	कंडिका 7
[1996] 10 पूरक एससीआर 925		निदिर्ष्ट	कंडिका 7
[2006] 1 पूरक एससीआर 52	निदिर्ष्ट		कंडिका 16
[2006] 6 पूरक एससीआर 512	निदिर्ष्ट		कंडिका 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6619 साल 2014

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 07.07.2011 के निर्णय एवं आदेश से एल.पी.ए. 1128 /2011 (ओ एंड एम)।

श्रीमती विमला सिन्हा, श्रीमती सीमा बेंगानी, राजन कुमार चौरसिया, अमरीश कुमार, श्रीमती सुषमा सुरी, अपीलकर्ता के अधिवक्तागण

योगिंदर हांडू, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय **हेमन्त गुप्ता, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा 07.07.2011 को पारित आदेश वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है। विद्वान एकल पीठ ने एक कश्मीरी प्रवासी, प्रतिवादी की रिट याचिका को अनुमति दे दी है, जो वर्ष 1989 या उसके आसपास जम्मू में स्थानांतरित हो गया था। उन्हें दिल्ली में डी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उन्हें फ़रीदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया है। प्रतिवादी ने 31.10.2006 को सेवा से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली।

2. प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति देने के लिए अभ्यावेदन दिया, जिसे अनुमति दी गई और धर को एक और वर्ष के लिए घर बनाए रखने की अनुमति दी गई। धर ने 18.6.2007 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हें जम्मू–कश्मीर में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार होने तक मामूली लाइसेंस शुल्क पर आवंटित घर को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी और सरकार उनके लिए अपने मूल स्थान पर लौटना संभव बनाए।

3. धर को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदार की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत एक नोटिस दिया गया था। धर के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था, लेकिन दिल्ली के अतिरिक्त जिला

न्यायाधीश ने उस पर रोक लगा दी थी। दिल्ली न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर आपत्ति उठाई गई थी। धर ने अपनी अपील वापस ले ली और इसे विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद की अदालत में दायर किया, जिसे 19.08.2009 को खारिज कर दिया गया। ऐसे आदेश सिविल रिट याचिका में पंजाब और हरियाणा के विद्वान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय थे, जिसे दिनांक 24.10.2010 को अनुमति दे दी गई थी।

4. विद्वान एकल पीठ ने जे.एल. कौल बनाम जम्मू–कश्मीर राज्य में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर भरोसा किया। यह माना गया कि धर के लिए अपने राज्य में लौटना संभव नहीं है और जिसके कारण बेदखली के आदेश को स्थगित रखा जाएगा, हालांकि अपीलकर्ता धर को फरीदाबाद में नाममात्र लाइसेंस शुल्क पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने भी इसकी पुष्टि की।

5. जे. एल. कौल मामला अपीलकर्ता को आवंटित आवासीय आवास से उत्पन्न मामला था जो वर्ष 1989–90 में जम्मू में एक सरकारी कर्मचारी था। अपीलकर्ता को सुरक्षा कारणों से जम्मू में आवंटित घर को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में, राज्य के मुख्य सचिव ने 06.10.2009 को एक हलफनामा दायर किया था और खुलासा किया था कि अदालत में मौजूद 54 अपीलकर्ताओं में से 23 ने पहले ही सरकारी आवास खाली कर दिया था जो उन्हें आवंटित किया गया था जबकि 31 प्रवासी अभी भी सरकारी आवास पर काबिज हैं। आवास सहित राहत के लिए 37,280 परिवारों को पंजीकृत किया गया है और केवल 5,000 परिवारों को आवास प्रदान किया गया है। हलफनामे में उनलोगों को ट्रांजिट आवास और वैकल्पिक रूप से किराये और आकस्मिक खर्च के लिए प्रति परिवार एक लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान है, जो ट्रांजिट आवास में रहने में सक्षम नहीं थे।

प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

"(बी) ट्रांजिट आवास : कुल रु. 20.00 करोड़ की दर से तीन स्थलों पर ट्रांजिट आवास का निर्माण 60.00 करोड़. वैकल्पिक रूप से, रु. उन परिवारों को किराये और आकस्मिक खर्चों के लिए प्रति परिवार 1.00 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिन्हें पारगमन आवास में समायोजित नहीं किया जा सकता है।"

6. इस न्यायालय ने जे. एल. कौल में एक आदेश पारित किया कि आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया था :

8. उपरोक्त हलफनामे से यह स्पष्ट होता है कि राज्य प्राधिकरणों ने पुनर्वास योजना तैयार की है और इसके कार्यान्वयन के लिए उन्हें संसाधन भी मिले हैं। ऐसी स्थिति में किसी और कार्रवाई/ निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्य द्वारा दिए गए उपरोक्त हलफनामे/वचनपत्र के मद्देनजर और विद्ववान अधिवक्ता श्रीमती पूर्णिमा भट्ट काक और श्री अनीस सुहरावर्दी, विद्ववान राज्य के लिए अधिवक्ता को सुनने के बाद हम इस पवित्र आशा के साथ अपील का निपटारा करते हैं कि राज्य आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सभी प्रयास करेगा और जब तक राज्य 31 अपीलकर्ताओं–सेवानिवृत्तों / विस्थापितों को पुनर्वास और उचित आवास प्रदान करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक इस तिथि पर उन आवासों पर कब्ज़ा करना जो उनके संबंधित कब्जे में हैं वे जारी रहेंगे।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के लोक प्रहरी (1) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कार्यकारी निर्देशों को पूर्व मुख्यमंत्री निवास आवंटन नियम, 1997 के रूप में जाना जाता था। अवैध और लोक प्रहरी (।।) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवासों के आवंटन को नियमित करने के लिए बनाए गए एक अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। इसके निर्णयों का भी संदर्भ दिया गया था तथा कोर्ट ने एस. डी. बंदी बनाम डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य और शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य के रूप में रिपोर्ट की ।

8. प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री हांडू ने दिल्ली उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ के एक फैसले का हवाला

दिया, जिसे भारत संघ और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया था। वी. विजय मैम'. विद्वान एकल पीठ का आदेश, जो अपील का विषय था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आदेश दिया गया था कि संघ याचिकाकर्ता और उसके परिवार को दिल्ली में कहीं भी वैकल्पिक आवास प्रदान करेगा, लेकिन भुगतान के अधीन वैकल्पिक आवास एनसीआर क्षेत्र में भी सामान्य लाइसेंस शुल्क के साथ हो सकता है। विद्वान डिवीजन बेंच सीमा सुरक्षा बल के एक पूर्व महानिदेशक सहित 24 कब्जेदारों के खिलाफ संघ की अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1) (डी) को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में संदर्भित किया जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित हैं और न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य हैं। भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा तैयार की गई मई, 2008 की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बताया गया था कि राष्ट्रीय अधिकारियों का प्राथमिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को सुरक्षा और मानवीय सहायता प्रदान करें। सिद्धांत 7, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान करता है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों को उचित आवास प्रदान किया जाए। न्यायालय ने जे. एल. कौल के फैसले को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में भी संदर्भित किया। विद्वान दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा:

"16. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मामला कुछ मूलभूत मुद्दों को उठाता है। यह एक ओर उत्तरदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का मिश्रण है और दूसरी ओर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आवास के कब्जे का दावा करने का सरकार का अधिकार। यह प्रारंभिक टिप्पणी करना भी आवश्यक है कि यह मुद्दा असाधारण परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है और असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपचार की आवश्यकता होती है। रेखांकित उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, बेशक, कानून के अनुसार न्याय, लेकिन साथ ही दया और करुणा के साथ व्यावहारिक न्याय, जहां भी यह कानून के मापदंडों के भीतर संभव हो और कानूनी सिद्धांतों के प्रति हिंसा किए बिना हो।

17. सरलीकृत प्रस्ताव, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने इसे पीपी अधिनियम के तहत साधारण मामले माना है, की निंदा की जानी चाहिए। न्यायालय इस मुद्दे को तुच्छ बनाने की बात को स्वीकार नहीं कर सकता जैसा कि इसे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में मानवाधिकार का गहरा रंग जरूर है, उस दृष्टिकोण से मामले की जांच करने में विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण निश्चित रूप से उचित, उचित और उचित है। उक्त दृष्टिकोण को संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण को अलग रखते हुए मामले के व्यापक ई अर्थ में न्याय करने के उद्देश्य से अपनाया गया है। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए अदालतों को कानून की तकनीकी बारीकियों को नजरअंदाज करना पड़े।

XXX XXX XXX

31. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि केंद्र सरकार उत्तरदाताओं जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से एक पुनर्वास योजना 'तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी और ऐसी योजना में, वह उन नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकती है जिन पर ऐसे व्यक्ति पुनर्वास /वैकल्पिक निवास के हकदार होंगे, जिसमें यह शब्द शामिल हो सकता है कि इन उत्तरदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों के पास देश के किसी भी हिस्से में कोई निवास नहीं है। सरकार को आवास की प्रकृति निर्दिष्ट करने की भी छूट होगी जिसके लिए ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हकदार होंगे या वह स्थान जहां उनका पुनर्वास किया जाएगा जो जरूरी नहीं कि दिल्ली में हो, बल्कि एनसीआर क्षेत्र में भी हो सकता है। योजना तैयार होने के बाद, उत्तरदाताओं के मामलों की जांच योजना के संदर्भ में की जा सकती है एवं उस योजना और उसके संदर्भ में पुनर्वास के लिए पात्र नहीं पाए जाने वालों को वर्तमान आवास से बेदखल किया जा सकता है। हमारी तुरंत ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन, अपीलें जुर्माने सहित खारिज की जाती हैं।"

9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और पाया है कि उच्च न्यायालय के बी आदेश टिकाऊ नहीं हैं। शिव सागर तिवारी में, ग्यारह श्रेणियों में बारी–बारी से किए गए सरकारी आवासों के बड़े पैमाने पर आवंटन की जांच सरकारी आवास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के तहत की गई थी। ऐसी सभी श्रेणियां सेवारत कर्मचारियों की थीं जिन्हें बाहर कर दिया गया था बारी–बारी से आवंटन केंद्र सरकार में तत्कालीन शहरी विकास

मंत्री को दिनांक 8.11.1996 के आदेश द्वारा अनुकरणीय क्षति के रूप में 60 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। न्यायालय ने आश्रय के अधिकार के तर्क की जांच करते हुए निम्नानुसार कहा:

"3.... क्या हम यह भी देख सकते हैं कि जीवन, आजीविका और आश्रय इतने मिश्रित, मिश्रित और जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। जीवन छीनने के लिए, आजीविका छीनना ही पर्याप्त होगा; और आजीविका कमाने के लिए, जो शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर किसी के अपने घर और चूल्हे से दूर स्थानों पर होता है, आश्रय आवश्यक होगा– चाहे वह घर हो या फुटपाथ भी इस न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वालों के मामलों को निपटाया है जो ओल्गा टेलिस [ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (1985) 3 एससीसी 545] और नवीनतम प्रतिपादन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम नवाह खान गुलाब खान (जेटी (1996) 10 एससी 485] में है। हालांकि, मौजूदा मामले में हम उन लोगों से चिंतित नहीं हैं जो जबरदस्ती अपने काम के स्थानों के पास फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं। वर्तमान याचिका का प्राथमिक विषय–वस्तु सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टरों में उच्च या निम्न वेतनभोगी आवासीय आवास प्रदान करना है ।

XXX XXX XXX

40. इसलिए, मुख्य प्रश्न यह है कि किसे निष्कासन का सामना करना चाहिए, इसका उत्तर यह कहकर दिया गया है कि यह वे सभी होंगे जिनके नाम श्रेणी IV, VI, IX, X, XI और श्रेणी VII में शामिल हैं, जो वास्तव में हकदार नहीं बने थे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तिथि (तिथियों) तक बारी–बारी से आवंटन किया जाएगा। वे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और अन्य अधिकारी जो कार्यकाल पूल में क्वार्टर के लिए पात्र होने के बावजूद जनरल पूल क्वार्टर पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें भी बेदखल कर दिया जाएगा।

XXX XXX XXX

46. अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर सत्ता के मनमाने ढंग से प्रयोग के कारण आवंटन की पूरी प्रणाली लगभग ध्वस्त हो गई थी। एक संकट जैसी स्थिति थी और इस न्यायालय को एक असाधारण स्थिति से निपटना पड़ा और सभी संबंधितों को न्याय देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया तैयार करनी पड़ी। प्राकृतिक न्याय एक लचीला सिद्धांत है और हम हजारों की संख्या में आउट–ऑफ–टर्न आवंटन के मुद्दे से चिंतित हैं। हमने महसूस किया कि सामूहिक सुनवाई प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता को पूरा करेगी क्योंकि समिति ने उपस्थित लोगों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया था। इससे पहले यह दृष्टिकोण इसलिए लिया गया क्योंकि निर्धारित किया जाने वाला मूल प्रश्न
यह था कि क्या किसी कर्मचारी को दिया गया आवंटन आउट–ऑफ–टर्न आधार पर था या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो यह स्पष्ट है कि जब तक कोई अपवाद नहीं बनाया जाता है, तब तक आवंटी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। परिसर पर कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे द्वारा दो अवसरों पर दी गई सुनवाई से हमें स्पष्ट रूप से पता चला कि जिन आउट–ऑफ़– टर्न आवंटियों को सूचित किया गया था और वे उपस्थित हुए थे, उनके पास इसे आगे बढ़ाने के लिए दो प्रमुख तर्क थे, गंभीर बीमारी के आधार पर बेदखल न करने की दलील किसी न किसी करीबी रिश्तेदार का,
या उन्हें कार्यात्मक श्रेणी में शामिल करना। वास्तव में उन्हें बेदखल न करने का अनुरोध करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था। जैसा कि उपरोक्त चर्चा से प्रतीत होता है, इन दोनों पहलुओं को हमने पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा है।

XXX XXX XXX

95. अंत में, हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में सरकारी क्वार्टरों के आवंटन में कोई घोटाला या सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। हमें यकीन है कि इस संदर्भ में उच्च सार्वजनिक पदाधिकारियों पर जो भरोसा जताया गया है, उसका निर्वहन केवल सरकारी कर्मचारियों को काम की उपयुक्त स्थितियाँ प्रदान करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के

लिए किया जाएगा ताकि सरकार सुचारू रूप से चल सके, और आश्रय, जो कि किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही जरूरी आवश्यकता है, से इनकार नहीं किया जाएगा। पदचारी के लिए एक संतुष्ट नौकरशाही उतनी ही आवश्यक है जितना कि अच्छा राजनीतिक नेतृत्व । स्वतंत्र भारत की सरकार को 14–8–1947 की आधी रात को नियति के साथ अपने संघर्ष के बाद निभाने के लिए कई वादे करने हैं। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी सार्वजनिक पदाधिकारी ऐसा कार्य करेंगे कि नियति के साथ मुलाकात वास्तव में सभी के लिए आशा के युग की शुरुआत होगी।"

10. एस. डी. बंदी में राज्य की तीन शाखाओं यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा सरकारी आवास पर उस अवधि से अधिक कब्ज़ा करना, जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था, विचार के लिए आया। यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नानुसार आयोजित किया गया। –

"33.18 चूंकि सरकारी आवास का आवंटन मंत्रियों और संसद सदस्यों को दिया गया एक विशेषाधिकार है, इसलिए अनधिकृत आवास के मामले की सूचना सदन के अध्यक्ष/सभापति को दी जानी चाहिए और विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदन समिति द्वारा कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जिसका एक सदस्य/ मंत्री होना चाहिये और उपयुक्त समिति को समयबद्ध अवधि के भीतर उचित कार्रवाई/निष्कासित करने के लिए अध्यक्ष सभापति को सिफारिश करनी चाहिए।

33.19 किसी भी फोरम के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर आधिकारिक आवास खाली करना होगा। हालाँकि, पर्याप्त कारण दर्ज करने के बाद, समय को एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

33.20 अब से, आवासीय आवास के लिए चिह्नित किसी भी सरकारी आवास में भविष्य में किसी भी स्मारक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

34. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्मचारी, अधिकारी, जनता के प्रतिनिधि और अन्य उच्च गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासीय आवास में रह रहे हैं, हालांकि वे अब ऐसे आवास के हकदार नहीं हैं। ऐसे कई व्यक्ति अपने पहले के पद के अनुरूप आवासीय आवास पर बने हुए हैं और जो उनकी वर्तमान पात्रता से परे हैं। अनाधिकृत कब्जाधारियों को याद रखना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य सहसंबद्ध हैं जैसे एक व्यक्ति के अधिकारों में दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य शामिल होते हैं उसी प्रकार एक व्यक्ति के कर्तव्य में दूसरे व्यक्ति के अधिकार शामिल होते हैं। इसका अवलोकन करते हुए, अनधिकृत कब्जेदारों को यह समझना चाहिए कि परिसर में अधिक समय तक रहने का उनका कृत्य सीधे तौर पर दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोई भी कानून या निर्देश अनाधिकृत कब्जाधारियों के बीच आत्म–प्राप्ति के अलावा अवज्ञा के इस कृत्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। मामले को उपरोक्त शर्तों के साथ निपटाया जाता है और आरोप लगाने और हस्तक्षेप के लिए आइ०ए० में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।"

11. उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास आवंटन नियम, 1997 बनाए हैं। लोक प्रहरी (1) में इस न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को कार्यालय छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास का आवंटन बरकरार रखने को रद्द कर दिया है। इस कोर्ट ने एस.डी. बंदी के मामले में फैसले को मंजूरी दे दी है। बंदी का मामला, इस प्रकार है:

"37. यदि हम अन्य संवैधानिक पद धारकों जैसे राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री और स्पीकर आदि की स्थिति को देखें, तो ये सभी व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान केवल एक "आधिकारिक निवास" रखते हैं। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि संघीय व्यवस्था, संघ की तरह, राज्य को भी पूर्व मुख्यमंत्री को आवासीय बंगला प्रदान करने की शक्ति है। प्रतिवादी राज्य की उपरोक्त दलील को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि 1981 अधिनियम ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता है और 1997 के नियम, जो केवल कार्यकारी निर्देशों की प्रकृति में हैं और 1981 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

38. इसके अलावा, राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की स्थिति उनके पद छोड़ने के बाद अलग–

अलग नहीं हो सकती। इसके अलावा, संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी अन्य गणमान्य व्यक्ति को ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है। उपरोक्त कारणों से, 1997 के नियम निष्पक्ष नहीं हैं, और इससे भी अधिक, जब मंत्रियों के "वेतन और भत्ते" का विषय, 1981 अधिनियम की धारा 4(2)(ए) द्वारा शासित होता है।

XXX XXX XXX

46. जहां तक निजी ट्रस्टों या सोसायटियों को बंगले के आवंटन का सवाल है, यह विवाद में नहीं है कि वे सभी बंगले सोसायटियों/ट्रस्टों/ संगठनों को उस समय आवंटित किए गए थे जब सरकारी बंगलों के आवंटन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। उन्हें और इसलिए, हमारी राय में, उक्त आवंटन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यहां यह याद रखना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिफल के बिना सार्वजनिक संपत्ति का निपटान किसी के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के अभाव में, पर्याप्त बाजार किराए के बिना किसी को सरकारी संपत्ति का आवंटन, कानून की दृष्टि से भी बुरा होगा क्योंकि राज्य को पर्याप्त विचार किए बिना निजी व्यक्तियों या निकायों के पक्ष में सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए, सभी ऐसे आवंटन, जो किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में किए गए हैं, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यदि कोई आवंटन प्रासंगिक समय पर वैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं किया गया था, तो इसे बंद कर दिया जाना चाहिए और इसे रद्द माना जाना चाहिए और राज्य को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, ऐसे परिसरों का कब्ज़ा यथाशीघ्र हो और साथ ही, राज्य को ऐसे परिसरों के संबंध में उचित किराया भी वसूल करना चाहिए जो बिना किसी वैधानिक प्रावधान के आवंटित किए गए थे।"

12. लोक प्रहरी (।।) में इस न्यायालय ने उपर्युक्त कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के परिणामस्वरूप वर्ष 2016 में संशोधित उ. प्र. मंत्री (वेतन, भत्ते और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1981 न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश पारित किया :

"16. भारत के संविधान की प्रस्तावना अन्य बातों के साथ-साथ, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतीक है और यह समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों के आधार पर है कि संविधान नागरिकों के केवल एक ही वर्ग को एक ही आवाज (वोट) के साथ मान्यता देता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बच्चों, एससी/ एसटी, अल्पसंख्यकों आदि के लिए किए गए प्रावधानों के अधीन नागरिकों का एक विशेष वर्ग, ऊपर उल्लिखित अपवाद के अधीन, संवैधानिक लोकाचार के लिए घृणित है।

XXX XXX XXX

36. उपरोक्त विचारों के आलोक में, 1981 के अधिनियम की धारा 4(3) में सूचीबद्ध संवैधानिक पदाधिकारियों को सार्वजनिक पद छोड़ने के बाद सरकारी बंगलों का आवंटन स्पष्ट रूप से अनुच्छेद की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि ऐसे बंगले सार्वजनिक संपत्ति होते हैं जो स्वयं दुर्लभ होते हैं और सार्वजनिक कार्यालयों के वर्तमान धारकों के उपयोग के लिए होते हैं। उपरोक्त संशोधन अधिनियम, 1997 (1997 का 8) द्वारा 1981 अधिनियम में धारा 4-ए की स्थापना द्वारा प्रकट होता है। इसलिए, ऐसी संपत्ति के आवंटन से संबंधित प्रश्न, निस्संदेह, सार्वजनिक चरित्र के प्रश्न हैं और इसलिए, उचित वर्गीकरण के साथ-साथ मनमानी की कसौटी पर भी निर्णय लिया जा सकता है।"

13. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के मद्देनजर सरकारी आवास उस व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता था जिसने कार्यालय छोड़ दिया था। एक समय संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्तियों के संबंध में भी कोई अपवाद नहीं बनाया गया। यह माना गया कि सरकारी आवास केवल सेवारत अधिकारियों के लिए है और एच सेवानिवृत्त लोगों या उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कार्यालय छोड़ दिया है। इसलिए राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के कारण विस्थापित व्यक्तियों के प्रति दिखाई गई दया के आधार पर विद्वान दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है। विस्थापितों को एक या दो महीने के लिए समायोजित करने के लिए दया दिखाई

जा सकती है, लेकिन उन्हें पहले से आवंटित सरकारी आवास को बनाए रखने या वैकल्पिक आवास आवंटित करने की अनुमति देना, वह भी मामूली लाइसेंस शुल्क के साथ, सरकारी आवास के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। सेवारत अधिकारियों के लिए. करुणा चाहे कितनी भी वास्तविक क्यों न हो, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सरकारी आवास पर बने रहने का अधिकार नहीं देती।

14. सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार, एक विस्थापित व्यक्ति को ट्रांजिट आवास में रखा जाना है और यदि यह उपलब्ध नहीं है तो नकद मुआवजा प्रदान किया जाना है। लेकिन विस्थापित व्यक्ति सरकारी आवास पर कब्जा नहीं कर सकते। यदि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पास कोई निवास नहीं है, तो उनके पास पारगमन आवास का लाभ उठाने या पारगमन आवास के स्थान पर नकद मुआवजा प्राप्त करने का विकल्प होता है। आश्रय के अधिकार का ध्यान तब रखा जाता है जब आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रवासियों को वैकल्पिक पारगमन आवास उपलब्ध कराया जाता है। जम्मू–कश्मीर राज्य में आतंकवाद के कारण विस्थापित व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इस तरह के निर्देश आश्रय की लड़ाई की आड़ में प्रवासियों को आवास आवंटित करने की किसी भी नीति का उल्लंघन करते हैं, जो स्पष्ट रूप से न्यायालयों के साथ निहित अधिकार क्षेत्र से परे है। उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण उन्हें वैकल्पिक सरकारी आवास प्रदान करना राज्य का कर्तव्य नहीं बनता है।

15. श्री हांडू द्वारा यह तर्क दिया गया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आश्रय का अधिकार एक मौलिक लड़ाई है, जिस पर विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन आश्रय का ऐसा अधिकार उन लाखों भारतीयों को दिया जाता है जिनके पास आश्रय नहीं है। समाज का एक वर्ग, विशेषकर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने पेंशन अर्जित की थी, सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार को असीमित अवधि के लिए सरकारी आवास प्रदान करना चाहिए। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अनिश्चित काल के लिए सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति देने का निर्देश, कम से कम, राज्य की किसी भी नीति के बिना राज्य उदारता का वितरण है। प्रवासियों के एक वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता कि एक अधिमानी नागरिक को उन लाखों अन्य नागरिकों की कीमत पर आश्रय का अधिकार देना है जिनके सिर पर छत नहीं है। विस्थापित व्यक्ति को आश्रय का अधिकार तब संतुष्ट होता है जब पारगमन आवास में आवास प्रदान किया गया हो। आश्रय का ऐसा अधिकार सरकारी आवास प्रदान करने तक विस्तारित नहीं होता है और न ही हो सकता है।

16. जे. एल. कौल का मामला है, जिसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा बनाई गई पुनर्वास योजना को स्वीकार किया गया था, जिसके आधार पर 31 अपीलकर्ताओं को उचित आवास प्रदान किया गया था और उन्हें वह आवास दिया गया था जो उनके कब्जे में था। ऐसा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में था। इस न्यायालय ने इंडियन बैंक बनाम एबीएस मरीन प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में कहा कि उच्च न्यायालयों ने बार–बार अनुच्छेद 142 के तहत जारी एक निर्देश का पालन किया, इसे इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में माना गया। यह माना गया कि इसलिए न्यायालयों को अनुपात निर्णय का पता लगाने और उसका पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, न कि विशेष तथ्यों पर राहत दी जाए । इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

26. अलग होने से पहले एक शब्द। कई बार कानून घोषित करने के बाद, यह न्यायालय फैसले के ऑपरेटिव भाग में कुछ निर्देश देता है जो या तो कानून के आवेदन को शिथिल कर सकता है या मामले को कानून की कठोरता से छूट दे सकता है विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए या तब तक कानून की अनिश्चितता को देखते हुए, पूर्ण न्याय करना होगा। ऐसा करते समय, आम तौर पर यह नहीं कहा जाता है कि ऐसा निर्देश/आदेश अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग है। ऐसा करना असामान्य नहीं है यह पाया गया कि अदालतों ने घोषित कानून का पालन नहीं किया है, बल्कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में राहत को ढालते समय दी गई छूट / छूट का पालन किया है। जब उच्च न्यायालय बार–बार अनुच्छेद 142 के तहत जारी एक निर्देश का पालन करते हैं, तो इसे

इसके द्वारा घोषित कानून के रूप में मानते हैं। अनुच्छेद 142 के तहत दी गई छूट / छूट असंगत रूप से कानून बन जाती है, हालांकि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून से भिन्न है। इसलिए अदालतों को अनुपात निर्णय का पता लगाने और उसका पालन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, न कि विशेष तथ्यों पर दी गई राहत के आधार पर, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी स्थिति से बचने का एक समाधान यह है कि इस न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आदेश का एक विशेष निर्देश या भाग अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग है। जैसा भी हो।"

17. एक अन्य फैसले में राम प्रवेश सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया आैर यह माना गया कि अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में विशेष तथ्यों पर दिया गया कोई भी निर्देश बाध्यकारी मिसाल नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"23. अपीलकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने, मामलों में, समान परिस्थितियों में अवशोषण का निर्देश दिया है। अपीलकर्ता ने जी गोविंदा राजुलु बनाम ए.पी. स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड [1986 पूरक एससीसी 651: 1987 एससीसी (एल एंड एस) 71] के निणर्य पर अपना विश्वास जताया है। हम संपूर्ण निर्णय नीचे देते हैं: (एससीसी पृष्ठ 651, पैरा 1–2)

"1. हमने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मचारी जिनकी सेवाओं को निगम के बंद होने के कारण समाप्त करने की मांग की गई थी, उन्हें सरकारी विभागों या सरकारी निगमों में समान नियमों और शर्तों पर सेवा में जारी रखा जाएगा।

2. रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।"

उक्त आदेश की अवधि, जिसके पहले कोई कारण या किसी सिद्धांत पर विचार नहीं किया गया है, दर्शाता है कि यह उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया एक आदेश था। इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में विशेष तथ्यों पर दिया गया कोई भी निर्देश बाध्यकारी मिसाल नहीं है। इसलिए, गोविंदा राजुलु [1986 पूरक एससीसी 651: 1987 एससीसी (एल एंड एस) 71] का निर्णय उस मामले में दी गई राहत के समान राहत का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है। उमादेवी (3) [(2006) 4 एससीसी 1: 2006 एससीसी (एल एंड एस) 753]: (एससीसी पृष्ठ 39, पैरा 46) में इसी तरह के एक तर्क को संविधान पीठ ने खारिज कर दिया था।

"तथ्य यह है कि कुछ मामलों में अदालत ने उन मामलों में शामिल कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया था, इसका उपयोग वैध अपेक्षा के आधार पर दावा करने के लिए नहीं किया जा सकता है।"

18. इसलिए, जे.एल. कौल में जारी किया गया निर्देश कि सेवानिवृत्त लोगों को उनके कब्जे में आवास का अधिकार जारी रहेगा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया एक निर्देश है। इस न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दी गई पुनर्वास योजना को स्वीकार कर लिया था।

19. धर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे। उसने अपने वेतन, सेवानिवृत्ति, पेंशन लाभ के साथ 15 साल तक वैकल्पिक आवास का लाभ उठाया। नाममात्र लाइसेंस शुल्क पर सरकारी आवास आवंटन के लिए किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है। सरकारी आवास सेवारत सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन की सुविधा के लिए है। सरकारी आवास सेवानिवृत्त लोगों के लिए नहीं है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए आवास सेवारत अधिकारियों की कीमत पर है। जे.एल. कौल में जिस नीति पर विचार किया गया था, उसके अनुसार, कश्मीरी प्रवासी पारगमन आवास के हकदार हैं और यदि पारगमन आवास प्रदान नहीं किया जा सकता है तो निवास और खर्चों के लिए धन धर और उनके जैसे व्यक्ति प्रवासियों के सबसे गरीब तबके से नहीं हैं, लेकिन उन्होंने नौकरशाही के उच्च पदों पर काम किया है। यह कहना कि वे आश्रय के अपने अधिकार को केवल तब तक लागू कर रहे हैं जब तक कि परिस्थितियाँ उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अनुकूल न हों, पूरी तरह से भ्रम है। कोई भी निश्चित नहीं है कि किस समय परिस्थितियाँ प्रवासियों की संतुष्टि के अनुकूल होंगी। नागरिकों के एक वर्ग के प्रति ऐसी परोपकारिता और अधिमान्य अधिकार सेवारत अधिकारियों के साथ अन्याय है। धर जैसे व्यक्तियों को अपने साथी कर्मचारियों के प्रति दया रखनी चाहिए, जिनके पास कोई सरकारी आवास नहीं है। आश्रय के अधिकार का मतलब सरकारी आवास का अधिकार नहीं है। सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है, न कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए

परोपकार और उदारता के वितरण के लिए।

20. इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल बिना किसी आधार के हैं और एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जो आतंकवाद का शिकार हो सकता है, को सरकारी आवास के आवंटन की कोई नीति नहीं है। पारित आदेश पूरी तरह से मनमाने और अतार्किक हैं। हम दिल्ली और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

21. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और अधिनियम के तहत आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका बहाल की गई है। हालाँकि, प्रतिवादी–धर को 31.10.2021 या उससे पहले, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के 15 वर्ष बाद, परिसर का खाली भौतिक कब्ज़ा सौंपने का समय दिया गया है।

22. अपीलकर्ता 15.11.2021 को या उससे पहले उच्च न्यायालयों के आदेशों के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास में हैं, के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

निधी जैन अपील की अनुमति।

मेरे द्वारा रूपांतरित किया गया ।

अमित आनन्द
अ०न्या०–सह–अ०मु०न्या०द०–।।
पटना।